(128) परिशिष्ट 2

मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-61-11/94-बी-2/20 भोपाल, दिनांक 5 मई 1995

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण, म. प्र.
भोपाल.

विषय :—केन्द्र प्रवर्तित योजना "आपरेशन ब्लेक बोर्ड" के अन्तर्गत क्रय प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण.

राज्य शासन "आपरेशन ब्लेक बोर्ड" योजना के अन्तर्गत सामग्री (किसी भी प्रकार की पुस्तकों को छोड़कर) क्रय हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित करता है :—

1. इस योजना के अन्तर्गत सामग्री का क्रय विकेन्द्रित किया जाकर अब यह क्रय जिला स्तर पर किया जायेगा.

2. प्रत्येक जिले को आवश्यकता एवं योजना के मान से आनुपातिक बजट आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा आवंटित किया जायेगा. क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया की समय सीमा निम्नानुसार रहेगी :—

(अ) सामग्री का चयन 22 मई 1995 तक.
(ब) निविदा/क्रय कार्यवाही प्रारंभ 29 मई 1995.
(स) निविदा/क्रय प्रक्रिया अंतिम करना 7 जुलाई 1995.
(द) आपूर्ति आदेश 12 जुलाई 1995 तक जारी करना.
(इ) सामग्री प्राप्ति 22 अगस्त 1995.

3. उक्त कार्य के लिए प्रत्येक जिले में दो समितियों का गठन निम्नानुसार होगा :—

(क) सामग्री चयन समिति :—

1.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	अध्यक्ष
2.	जिला मुख्यालय के एक हायर सेकेण्ड्री स्कूल का प्राचार्य (कलेक्टर द्वारा नामांकित)	सदस्य
3.	सम्बन्धित स्कूल के प्रधानाध्यापक	सदस्य
4.	कलेक्टर द्वारा नामांकित दो अशासकीय सदस्य जिनका शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव तथा रुचि हो एवं शिक्षा के प्रति समर्पण की भावना हो.	सदस्य
5.	कलेक्टर का प्रतिनिधि	सदस्य

(ख) सामग्री क्रय समिति :—

1.	जिला पंचायत के स्थायी शिक्षा समिति के अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	स्थायी शिक्षा समिति के अन्य सभी सदस्य	सदस्य
3,	उप संचालक, लोक शिक्षण (जिला)	सदस्य
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी दोनों जिला पंचायत.	सदस्य, सचिव

(129)

कोई भी व्यक्ति समितियों का सदस्य नहीं रहेगा.

4. सामग्री चयन समिति का कर्तव्य :

सामग्री क्रय के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 11-6-93 के पत्र से उनके पूर्व के अनुभव के आधार पर गाइड लाइन्स में कुछ परिवर्तन किये गये हैं. उनके द्वारा अब निम्नानुसार मदों के अन्तर्गत सामग्री लेना अनिवार्य किया गया है. चयन समिति द्वारा, किसी भी प्रकार की पुस्तकों को छोड़कर, शेष अनिवार्य मदों की सामग्री का चयन निम्नानुसार किया जाना है :—

अनिवार्य मदें :

1. नक्शे : सर्वे ऑफ इन्डिया के निर्धारित नक्शे जो संलग्न स्पेसिफिकेशन पर सर्वे ऑफ इन्डिया से लिये जाएंगे.

2. शैक्षणिक चार्ट्स : संलग्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के चार्ट्स लिये जाएंगे.

3. ब्लैक बोर्ड, चाक एवं डस्टर तथा छात्रों के लिए टाटपट्टी, शिक्षकों के लिए फर्नीचर इनका क्रय एन.सी.इ.आर.टी. की पुस्तक में निर्धारित स्पेसिफिकेश अनुसार किया जाएग.

4. गेम्स एवं खेल सामग्री : प्ले मटेरियल सामग्री, ब्लाक स्ट्रिप, टाईल, जिगसा पजल गेम्स एवं खिलौने। एन.सी.ई.आर.टी. की स्पेसिफिकेशन अनुसार.

गेम्स इक्विपमेंट : कूदने की रस्सी, रबर/टेनिसबाल, बालीवाल, फुटबाल, स्विंगरोप, टार, एयर पंप, रिंग. एन.सी.ई.आर.टी. की स्पेसिफिकेशन अनुसार.

अनिवार्य मदों में से मात्र वही सामग्री खरीदी जायेगी जो पूर्व से ही उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त अनिवार्य मदों की स्कूलवार, आवश्यकता अनुसार, खरीदी के पश्चात् ही जो भी आयटम/मदेंराष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की गाइड लाइन्स में से बची है और जिन्हें आवश्यक नहीं माना गया है, उनका क्रय बजट शेष रहने पर स्थानीय आवश्यकतानुसार किया जाएगा। इसमें मुख्यतः निम्न आयटम हैं :—

गैर अनिवार्य मदें :—

(क) ग्लोब (एन.सी.ई.आर.टी. की स्पेसिफिकेशन अनुसार).
(ख) प्रायमरी विज्ञान किट एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित.
(ग) मिनिटूल्स किट (एन.सी.ई.आर.टी. की स्पेसीफिकेशन अनुसार).
(घ) गणित किट एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित किट.
(च) वाद्य यंत्र (एन.सी.ई.आर.टी. की स्पेसिफिकेशन अनुसार).
(छ) बाक्स, कचरा पेटी, स्कूल घटी, पेयजल सुविधा हेतु साधन (गिलास आदि) (एन.सी.ई.आर.टी. की स्पेसीफिकेशन अनुसार).

यह भी विनिर्दिष्ट किया जाता है कि मात्र ऐसा ही सामान खरीदना चाहिये जो स्कूल में वर्तमान में नहीं है। समिति का यह कर्तव्य रहेगा कि अनिवार्य मदों के पश्चात् गैर अनिवार्य मद के आयटम खरीदना हो तो वह तय करें. यह तय करते समय स्कूल में उपलब्ध सामग्री को भी दृष्टिगत रखा जायेगा तथा जो सामग्री पूर्व से ही स्कूल में उपलब्ध है अथवा इस योजना में पूर्व में क्रय हो चुकी है वह क्रय नहीं की जावेगी.

5. सामग्री क्रय समिति के कर्तव्य :

चयन समिति द्वारा सामग्री का चयन करने के पश्चात् क्रय समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह क्रय में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के गाइड लाइन्स तथा राज्य शासन के भण्डार क्रय नियमों का भी पालन करेंगे। प्रत्येक मद के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली प्रत्येक सामग्री की कीमत भारत शासन द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स (परिशिष्ट-एक.) में दर्शायी गई उस सामग्री की सीलिंग कीमत से अधिक नहीं होना चाहिये.

6. प्रत्येक जिले को आपरेशन ब्लैक बोर्ड की पुस्तक की प्रति उपलब्ध करायी जा रही है तथा उसमें सामग्री की दर्शायी गई गुणवत्ता एवं मात्रा तथा परिशिष्ट में दर्शायी गयी सीलिंग कास्ट के अधीन ही सामग्री क्रय होगी.

7. क्रय हेतु निम्न निर्देशों का पालन किया जाएगा :—

(1) वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से काली सूची में दर्ज फर्म से किसी भी प्रकार की खरीदी ध्यान में रखते हुए सभी स्तरों पर अधिकारी सजग रहेंगे कि घटिया सामग्री की आपूर्ति नहीं हो तथा ऐसी फर्मों से कतई क्रय नहीं किया जाए.

(130)

(2) साईंस किट के लिए क्रय की जाने वाली सामग्री की खरीदी के लिए निम्न विकल्प का परीक्षण किया जाय :—

(क) प्रत्येक सामग्री निर्माताओं से ही क्रय की जाये और प्राप्त सामग्री को किट में रखने के लिए भी अलग से निविदा आमंत्रित कर किट बनवाने का काम करवाया जाये.

(ख) खरीदी जाने वाली सामग्री की अलग-अलग श्रेणी बनाई जाये और श्रेणीवार अलग-अलग किट बनाकर दी जाये. उदाहरण के लिये कांच के समान की एक श्रेणी, वैज्ञानिक उपकरण की दूसरी श्रेणी आदि बनाई जा सकती है. इस प्रकार सामग्री का श्रेणीवार विभाजन कर लिया जाय.

(3) आरक्षित सामग्री के लिए स्टोरपरचेज नियमों का पूर्ण रूपेण पालन किया जाय।

(4) निविदा सावधानी पूर्वक बनाई जानी चाहिए, खरीदी जाने वाली वस्तुओं के आकार-प्रकार, वजन, गुणवत्ता तथा अन्य सभी विशिष्ट विवरण एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तय किये जाने चाहिय. निविदा भरने वाले निर्माताओं द्वारा दिये गये नमूनों की जांच इन विशिष्ट विवरणों के आधार पर ही होना चाहिये.

(5) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सामग्री केवल निर्माताओं से ही क्रय की जा रही है और बिचौलिये लाभ नहीं उठा रहे हैं।

(6) प्रत्येक प्रदाय स्थान पर सामग्री प्राप्त करने के लिये एक समिति बनाई जानी चाहिये जिसमें संबंधित स्कूल के प्राचार्य, उप संचालक, शिक्षा जिलाध्यक्ष के प्रतिनिधि तथा जिला पंचायत की स्थाई शिक्षा समिति के एक सदस्य रहेंगे. यह समिति नमूनों से सामग्री का मिलान कर तय करे कि प्रदाय की गई सामग्री उसी गुणवत्ता की है जिस गुणवत्ता की सामग्री के आदेश दिये गये हैं. क्रय समिति की भी जिम्मेदारी होगी कि वह गुणवत्ता सुनिश्चित करे।

(7) विभाग के तथा, जिस शासकीय एजेंसी के माध्यम से क्रय किया जाता है उस एजेंसी के, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सामग्री का निरीक्षण किया जायेगा.

संलग्न : आपरेशन ब्लैक बोर्ड
नार्म्स एवं स्पेसिफिकेशन
पुस्तिका (एन.सी.ई.आर.टी.)

हस्ता./-
(आर. के. तिवारी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

पृष्ठ. क्रमांक एफ-61-11/94-बी-2/20 भोपाल, दिनांक 5 मई 1995

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. निज सचिव, मंत्री, स्कूल शिक्षा, म.प्र., भोपाल.
3. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
4. डॉ. आर. व्ही वैद्यनाथन अय्यर, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली.
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
6. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, भोपाल.
8. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि विभाग, भोपाल.
9. प्रबंध निदेशक, लघु उद्योग निगम, भोपाल.
10. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश.
11. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा, मध्यप्रदेश.
12. समस्त जिला पंचायत, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश.
13. समस्त अध्यक्ष, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश.
14. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश.
15. समस्त उप संचालक, शिक्षा, मध्यप्रदेश.
16. समस्त प्राचार्य, डाइट्स, मध्यप्रदेश.

हस्ता./-
(आर. के. तिवारी)
अवर सचिव.
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

Annex-I

ESSENTIAL FACILITIES AT THE PRIMARY STAGE

(For Detailed Specifications Refer NCERT Guide Book)

	Item	Number	Amount in Rs.
Classroom teaching materials			
(i)	Maps— District, State, Country, World	One each	240
(ii)	Globe	01	140
(iii)	Educational Charts (As per guide book of NCERT one set each of Language, Environmental Science I & II)		125
Play materials and toys			
(i)	Blocks, Tiles, Strips (Construction of different designs, patterns, objects etc.)	3 sets	165
(ii)	Jigsaw-Puzzles	3 sets	85
(iii)	Toys (Dolls, Human figures, Animals, Science toys)	2 sets	415
Games equipment			
(i)	Skipping rope	10	85
(ii)	Balls—Football	02	95
	Volleyball	02	95
	Rubber Ball	10	70
(iii)	Air pump	01	50
(iv)	Ring	05	70
(v)	Swing rope with tyre	01	50
	Primary Science Kit (of NCERT)	01	555
	Mini Tool Kit (of NCERT)	01	415
	Mathematics Kit (NCERT)	01	415
	School Bell	01	70
Musical Instruments			
	Dholak or Tabla	01	140
	Harmonium	01	690
	Manjira	02	70
(i)	Mats and funiture for students and teachers (one chair & one table for one teacher)		
	For teachers	02 sets	970
	Mats	As per Guide Book	515
	Boxes	02	415
	Black Board	02	555
	Roller Board	02	70
	Chalk & duster	As per Guide Book	40
	Water facility (pitchers, glasses & ladle)	As per Guide Book	140
	Trash Can	10	70

132

परिशिष्ट-३

अमले का अंतरण एवं वित्तीय व्यवस्था

जिला पंचायत तथा स्कूल शिक्षा विभाग में काम के बंटवारे, संचालन एवं क्रियान्वयन के लिये अमले के बंटवारा निम्नानुसार रहेगा। यह बटवारा मानक है। जिला तथा विकास खण्डों के अमले में स्वीकृत पदों में कमीवेशी होने पर संभागीय संयुक्त संचालक अनुपातिक रूप में अमलें का विभाजन जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर करेंगे।

शिक्षा विभाग के अमले का शासन स्तर पर एवं जिलास्तर पर विभाजन

शासन के पास			जिला पंचायत के पास		
उपसंचालक कार्यालय :					
1.	सहायक संचालक	01	1.	उप संचालक	01
2.	ए. एस. ओ.	01	2.	लेखाधिकारी	01
3.	हेड क्लर्क	01	3.	योजनाधिकारी	01
4.	डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ईसपेक्टर	01	4.	स्टेनो	01
5.	लेखापाल	02	5.	सीनियर आडिटर	01
6.	सहायक	01	6.	एल. डी. सी.	02
7.	यू. डी. सी.	02	7.	सहायक	01
8.	टायपिस्ट	03	8.	भृत्य	01
9.	एल. डी. सी.	01	9.	वाहन चालक	01
10.	जूनियर आडिटर	01	10.	टायपिस्ट	01
11.	दफ्तरी	01			
12.	भृत्य	02		कुल	11
	कुल . .	17			
विकास खंड कार्यालय :					
1.	इन्वेस्टीगेटर	01	1.	विकासखण्ड शिक्षाधिकारी	01
2.	आडिटर	01	2.	हेडक्लर्क	01
3.	यू. डी. सी.	01	3.	सहायक	01
4.	एल. डी. सी.	01	4.	यू. डी. सी.	01
5.	चौकीदार	01	5.	एल. डी. सी.	01
			6.	भृत्य फर्राश	02
	कुल . .	05	7.	लेखापाल	01
			8.	टायपिस्ट	01
				कुल . .	09

जो अमले जिला पंचायतों को हस्तांतरित किया जायेगा, उसके लिये आवंटन आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जिला पंचायतों को दिया जायेगा। समस्त सहा. जि. शा. निरीक्षक शासन के अधीन रहेंगें। इन का पद नाम शैक्षिक समन्वयक रहेगा और ये मुख्य शैक्षिक समन्वयक के अन्तर्गत कार्य करेंगे, जो प्राचार्य के समकक्ष होगा।

शाकेमुभो—1714—संलोशि—2-11-96—3,000.